रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 15, 1973/आश्विन 23, 1895
No. 239] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 1973/ASVINA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th October 1973

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for April 1973—March 1974 (Amendment No. 44)*

No. 167-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the import policy for Registered Exporters as contained in Import Trade Control Red Book (Vol. II) for April 1973—March 1974, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 46-ITC(PN)/73, dated 2nd April, 1973.

2. In the case of exports of jewellery falling under S. No. S. 4 at page 173 of the said Red Book (Vol. II), one of the items permitted under Col. 4 is "Diamonds uncut and unset (50 per cent)". According to Remark No. (4) under Col. 5 against the said serial number, the replenishment of "diamonds uncut and unset" is allowed only through the Release Orders on the MMTC. On a review of the position, it has been decided that direct import may be allowed upto 80 per cent of the admissible replenishment of "diamonds uncut and unset" and, for the remaining 20 per cent, release orders may be issued on the MMTC.

3. The existing Remark No. (4) under Col. 5 against S. No. S. 4 in Section II of the Red Book (Vol. II) for April, 1973—March, 1974 may be deemed to have been amended accordingly

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1973

विषय :—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या : 44)।

सं० 167—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 46—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 2-4-1973 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण रैड बुक (वा० 2) में यथा निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त रैड बुक (वा० 2) के पृष्ठ 173 पर क्रम संख्या : एस० 4 के अन्तर्गत आने वाले रत्नाभूषणों के निर्यातों के मामले में कालम 4 में अनुमित मदों में से एक मद "बिना कटे हुए और बिना जड़े हुए रत्न (50 प्रतिशत)" है। उक्त क्रम संख्या के सामने कालम 5 में अभ्युक्ति संख्या (4) के अनुसार "बिना कटे और बिना जड़े हुए रत्नों" की संपूर्ति केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम के नाम रिहाई आदेशों के मदे अनुमित है। स्थिति की पुनःरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि "बिना कटे और बिना जड़े हुए रत्नों" की स्वीकार्य संपूर्ति के 80 प्रतिशत तक सीधे ही आयात करने की अनुमति दी जा सकती है और, शेष 20 प्रतिशत के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम को रिहाई आदेश जारी किये जा सकते हैं।

3. अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए रैड बुक (वा० 2) के खंड 2 में क्रम संख्या एस० 4 के सामने कालम 5 के अन्तर्गत विद्यमान अभ्युक्ति संख्या (4) तदनुसार संशोधित की गई समझी जाए।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973